(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 427–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 223/निगरानी/2008–09

1. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री रामायण प्रसाद पाण्डे
2. होरिल पाण्डेय पुत्र स्व0 रामायण प्रसाद पाण्डेय
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 रामायण प्रसाद पाण्डेय
   सभी निवासी मुख्त्यारगंज सतना तहसील रघुराजनगर
   जिला सतना रीवा

——— आवेदकगण

विरूद्ध

सरस्वती देवी पत्नी पी0सी0 निगम
निवासी उचेहरा तहसील उचेहरा
जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 84/अ–12/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 8–3–07 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर सतना को प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 25–3–08 को आदेश पारित कर निगरानी खारिज की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त को किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–11–2014 से निगरानी सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन करते समय सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया गया। यह भी तर्क किया कि बटे नम्बर कायम होने के बाद जब तक नक्शा तरमीम नहीं हो जाता है तब तक सीमांकन नहीं किया जा सकता। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति हैं। आवेदकगणों को उनके अधिवक्ता द्वारा विलम्ब से आदेश की जानकारी दी। जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने प्रमाणित प्रति प्राप्त करनके उपरांत जानकारी दिनांक से समय–सीमा में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–11–14 के विरूद्ध दिनांक 2–2–15 को निगरानी प्रस्तुत की है। अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में आदेश पारित किया है, अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। इसके पश्चात भी आवेदकगण द्वारा यह निगरानी 22

दिन के विलम्ब प्रस्तुत की है। आवेदक अभिभाषक 22 दिन विलम्ब का कोई समाधानकारक कारण दर्शाने में असमर्थ रहे हैं। तहसीलदार ने बंदोबस्त सीमा चिन्ह न होने के कारण रेल्वे लाईन को स्थाई सीमा चिन्ह मानकर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की है। चूंकि रेल्वे लाईन भी स्थाई सीमा चिन्ह की श्रेणी में ही आता है इसी आधार पर तहसीलदार ने सीमांकन की कार्यवाही संपादित की है, जिसे अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित ठहराया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्ताक्षेप का कोई कारण भी आवेदक अभिभाषक दर्शाने में नाकाम रहे। अतः अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समयबाधित एवं आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर